कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 884 **FP/UK/ROAD/9428/2015** :देहरादून:दिनांक: 18 सितम्बर, 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कलौटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.1863 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावनर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–**RO-DDN/REC/1-2014/1192** दिनांक 07–09–2015 **(REC)**

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक पत्र **(REC)** बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार के उक्त निर्देशों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा की पत्र संख्या 872/12–1 दिनांक 14–09–2015 के द्वारा निम्न सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है :–

1. **बिन्दु संख्या–1** के अनुपालन में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय एवं उपखण्डीय स्तरीय प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1)**
2. **बिन्दु संख्या–2** के अनुपालन में लागत–लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रपत्रों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
3. **बिन्दु संख्या–3** के अनुपालन में पार्ट–II में वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूचना अंकित कर विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
4. **बिन्दु संख्या–4** के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण में 25 प्रतिशत बाँज प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जायेगा।**(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 884 **FP/UK/ROAD/9428/2015 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभगीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी